संख्या-2/2016/ए-2-313/दस-2016-14(3)/1990

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

2-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उ0प्र0 लखनऊ।

3-निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

4-मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई,
उ0प्र0 लखनऊ।

5-प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0 लखनऊ।

6-समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2016**

विषय:- विनियोजन नियंत्रण की साख पत्र सीमा योजना वर्ष 2015-2016 के अन्तिम त्रैमास में निर्गत चेकों का वर्ष 2016-2017 में भुगतान।

महोदय,

गत् वर्षो में निर्गत उपरोक्त विषयक शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साख पत्र सीमा योजना के अन्तर्गत जारी किये गये साख पत्रों की अवशेष साख सीमा (सी0सी0एल0) दिनांक 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत् हो जाती है तथा उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में शासनादेश संख्या-ए-2-46/दस-2000-24(2)/98, दिनांक 21-02-2000 के क्रम में शासन ने निर्णय लिया है कि लोक निर्माण, सिंचाई, वन, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के ऐसे समस्त चेक जो वर्ष 2015-2016 के अन्तिम त्रैमास में दिनांक 31 मार्च, 2016 तक निर्गत साख सीमा के अन्तर्गत काटे गये हो और जिनका भुगतान उक्त दिनांक 31-3-2016 तक न लिया गया हो, उनका भुगतान शासनादेश संख्या-ए-1-624/दस-1999, दिनांक 09 मार्च, 1999 में निर्धारित चेक की करेन्सी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अप्रैल, 2016 की अन्तिम तारीख तक कर दिया जाय तथा उन्हें वित्तीय वर्ष 2015-2016 की उक्त निर्गत साख सीमा के विरूद्व ही समायोजित माना जाय।

2- वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2016 को अवशेष चेक बुक काउण्टर फाइल सहित सम्बन्धित कोषागार को विलम्बतम् दिनांक 03 अप्रैल, 2016 तक अवश्य वापस कर दी जाय। कोषाधिकारी अवशेष चेकों का विवरण अभिलेखों में दर्ज करेगें। तत्पश्चात् विभागों/खण्डों द्वारा वापस की गयी चेक बुक में यदि कुछ चेक शेष है, तो ऐसी चेक बुक को सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग/खण्ड को अप्रैल, 2016 के लिए निर्गत किया जा सकता है अन्यथा उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में प्रयोग हेतु नयी चेक बुक कोषागार द्वारा निर्गत की जायेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्न व्यवस्था का अनुपालन भी अभियंत्रण विभागों/वन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय:-

(1) खण्डीय अधिकारियों द्वारा उक्त अन्तिम कार्य दिवस को तार/फैक्स/टेलेक्स द्वारा निम्न विवरण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचित किया जाय एवं अगले दिवस को उसकी पोस्ट प्रति पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाय:-

(क) उक्त अंतिम कार्य दिवस की नगद अवशेष राशि।

(ख) मार्च, 2016 में निर्गत चेकों की कुल संख्या एवं धनराशि।

(ग) मार्च, 2016 के अंतिम कार्य दिवस को निर्गत अंतिम चेक का नम्बर एवं धनराशि।

(2) इसी प्रकार वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 के अध्याय-12 के प्रस्तर-200 की व्यवस्थानुसार प्रभागीय अधिकारी उक्त दिनांक 31-3-2016 को प्रस्तर-84 में निर्धारित प्रपत्र संख्या-6 में चेकों की मासिक रजिस्टर की एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

4- कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
मुकेश मित्तल
सचिव।

<u>संख्या-2/2016 /ए-2-313(1)/दस-2016-14(3)/1990, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली।

3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण/सिंचाई/वन/लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग/भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

आज्ञा से,
नन्द किशोर शर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in